

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ ए-3-07-2021-1-पांच (48).- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-07-2021-1-पांच (26), दिनांक 10 जून 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में -

(i) खण्ड (i) में,-

1. "मई 2021 के 30वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून 2021 के 29वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
2. "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(ii) खण्ड (i) के परन्तुक में, -

1. "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
2. "जून 2021 के 15वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जुलाई 2021 के 15वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(iii) खण्ड (ii) में, -

1. "मई 2021 के 30वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून 2021 के 29वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" अंकों, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
2. यह अधिसूचना मई 2021 के 30वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ-ए-3-07-2021-1-पांच-(48).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-07-2021-1-पांच-(48), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

FA 3-07-2021-1-V(48).-In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA3-07-2021-1-V-(26), dated the 10th June, 2021 namely :-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) in clause (i),-
- a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
- (ii) in proviso to clause (i),-
- a. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words "15th day of June, 2021", the figures, letters and words "15th day of July, 2021" shall be substituted;
- (iii) in clause (ii),-
- a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
- b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June 2021" shall be substituted;
2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.